न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः—वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू.	तारीख निर्णय
19 / 2024	14.08.2024	24/04/2026

1. कैलाश पुत्र गोपाल बावरिया (गोग्या) निवासी जाखोदा हा.नि. क्यारदा कलां तहसील खण्डार।
2. सुगन्या पुत्र गोपाल बावरिया (गोग्या) निवासी जाखोदा हा.नि. क्यारदा कलां तहसील खण्डार।

प्रार्थीगण

बनाम

1. द्रोपती पत्नि रामदयाल कुम्हार निवासी क्यारदा कलां तहसील खण्डार।
2. रामदयाल पुत्र रामनाथ कुम्हार निवासी क्यारदा कलां तहसील खण्डार।
3. लैण्ड होल्डरतहसीलदार तहसील खण्डार।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

श्री रामजीलाल बैरवा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

श्री रमेश चन्द गौत्तम अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- यह कि उक्त उनवानी वादपत्र आज ही श्रीमान न्यायालय में पेश कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूरी—पूरी उम्मीद है।
- यह कि प्राथीगण ग्राम जाखोदा हाल निवासी क्यारदा कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर स्थायी निवासी होकर गरीब पिछड़ा वर्ग के काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 भी इसी ग्राम के निवासी है तथा जो धौक बन्द व लठैत व्यक्ति है। जो आए दिन झगड़ा फसाद कर लठ्ठ के जोर से दूसरे गरीब लोगों की जमीन हड़पने के नियत से कब्जा करते है अप्रार्थीगण संख्या 3 लैण्ड होल्डरतहसीलदार खण्डार होने से फोरमल पक्षकार बनाया है।
- यह कि खाता संख्या 498 पुराना 494 के खसरा नंबर 826 / 4 रकबा 3 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 3 बीघा हिस्सा 1 / 3 बांके ग्राम व पटवारी हल्का क्यारदा कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नंबर के खातेदारों से कय किया है जिसमें से 1 / 3 भाग का विकय पत्र तो पर वक्त विकय के तस्दीक हो गया शेष जमीन बाबत आगे रजिस्ट्री करवाना शेष रह गया जबकि उक्त संपूर्ण खसरा नंबर पर प्रार्थी [illegible] काश्त चला आ रहा है उक्त खसरा नंबर के मूल खसरा नंबर 4 है जो कि [illegible] का [illegible] रकबा है जिसमें कोई तरमीम नहीं है।
- यह कि अप्रार्थीगण की भी उक्त मूल खसरा नंबर 4 में अप्रार्थीगण [illegible] खातेदारी की जमीन 698 / 4 व 697 / 4 रकबा 6 बीघा [illegible] है। जिसकी भी मौके [illegible] कोई तरमीम नहीं थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.) सत्यमेव जयते

- यह कि प्रार्थीगण सीधे साधे लोग है तथा अप्रार्थीगण लठेत व बदमाश प्रवृति के सदस्य है जो कि इन खातेदारी जमीन की आड व तरमीम न होने का फायदा उठाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन 826/4 को छीनने पर आमादा है तथा आये दिन परेशान करते रहते है।

- यह कि दिनांक 19.07.2024 को सुबह 10:00 बजे जब प्रार्थीगण अपनी आराजी पर फसल बोने बाबत गये तो अप्रार्थीगण हाथो में लाठी डण्डे लेकर आ गये तथा प्रार्थीगण से कहने लगे कि तुम यहां खेतों को क्यो जोत रहे हो यहां तो हम काश्त करेंगे तब प्रार्थीगण ने कहा कि भाईयों यह जगह तो हमारी है हमने इसे खरीदा है। तब से हम यही काश्त करते चले आ रहे हैं। इस जगह से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो अप्रार्थीगण नाराज हो गये और प्रार्थीगण के साथ मारपीट पर उतारू हो गये तथा धमकी देने लगे कि इस जगह पर दुबारा आये तो तुम्हारे हाथ पैर तोड कर रख देंगे। तथा इस जमीन को तुमसे छीनकर रहेंगे। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। तथा प्रार्थीगण के पास अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय की शरण लेकर अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश कर उनको न्यायालय से पाबन्द करवाये तथा अपने खसरा नंबर की राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कराये यही कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

- यह कि दावा विनाय दावा दिनांक 19.07.2024 को देने धमकी व काश्त करने में आड़े फिरने से हर हदूद वाला उत्पन्न हुआ।

- यह कि प्राइमा फेसाई केस में एवं सुख सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

- यह प्रथम दृष्टया केस व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

- यह कि प्रार्थना पत्र को सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

- अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द फरमाय जावे कि अप्रार्थी विवादित आराजी खसरा नंबर 826/4 रकबा 3 बीघा बांके ग्राम क्यारदा कलां में कब्जे काश्त में किसी तरह की मदाखलत उत्पन्न नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 3 को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी 826/4 तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया ओर विशेष विवरण में अंकित किया गया है।

- यह कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। जिसकी कहीं भी सत्यता नहीं है।

- यह कि प्रार्थीगण ने किस जमीन कय की है तथा विकेता का मौके पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 697—4 698/4 किता 2 रकबा 6 बीघा बाके ग्राम [illegible] दिनांक 22.12.2023 को सीमाज्ञान राजस्व टीम द्वारा किया गया है। अप्रार्थी[illegible] उक्त आराजीयात पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। [illegible] कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात से संबंध वास्ता [illegible] सुदा भूमि है। प्रार्थीगण की जमीन किस जगह कय की है। यह अप्रार्थी[illegible] को काई मालूमात नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

- यह कि प्रतिगण उक्त गलत दावे की आड़ में हमारी जमीन में आना चाहते हैं जिसकी उक्त दावे में कोई सीमा अंकन नहीं है। उक्त दावा निराधार तथ्यों पर बिना किसी अधिकार गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण ने जिस खसरा नंबर में जमीन कय की थी उक्त खसरा में कहीं भी तरमीम नहीं है। अप्रार्थीगण की जमीन तरमीम सुदा खातेदारी कब्जे काश्त कि जमीन है। प्रार्थीगण की किस जगह पर उक्त जमीन स्थित है ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण ने पेश नहीं किया गया है इसलिए दावा खारिज किये जाने योग्य हैं।

- यह कि प्रार्थीगण ने जबरन हमारी अप्रार्थीगण की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहा तो प्रार्थीगण के खिलाफ धारा 447/427 का चालना पेश हुआ था। जो अभी विचाराधीन माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब खण्डार में लंबित है।

- अतः सेवा में जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने की कृपा करें।

- प्रार्थी वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया गया है कि खाता संख्या 498 पुराना 494 के खसरा नंबर 826/4 रकबा 3 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 3 बीघा हिस्सा 1/3 बांके ग्राम व पटवारी हल्का क्यारदा कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नंबर के खातेदारों से कय किया है जिसमें से 1/3 भाग का विकय पत्र तो पर वक्त विकय के तस्दीक हो गया शेष जमीन बाबत आगे रजिस्ट्री करवाना शेष रह गया जबकि उक्त संपूर्ण खसरा नंबर पर प्रार्थीण कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त खसरा नंबर के मूल खसरा नंबर 4 है जो कि काफी बड़ा रकबा है जिसमें कोई तरमीम नहीं है।अप्रार्थीगण की भी उक्त मूल खसरा नंबर 4 में अप्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन 698/4 व 697/4 रकबा 6 बीघा स्थित है। जिसकी भी मौके पर कोई तरमीम नहीं थी।प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन 826/4 को छीनने पर आमादा है तथा आये दिन परेशान करते रहते है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। तथा प्रार्थीगण के पास अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय की शरण लेकर अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश कर उनको न्यायालय से पाबन्द करवाये तथा अपने खसरा नंबर की राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कराये यही कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द फरमाय जावे कि अप्रार्थी विवादित आराजी खसरा नंबर 826/4 रकबा 3 बीघा बांके ग्राम क्यारदा कलां में कब्जे काश्त में किसी तरह की मदाखलत उत्पन्न नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 3 को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी 826/4 तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०) सत्यमेव जयते

3. अप्रार्थीगण वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रार्थीगण ने किस जमीन कय की है तथा विक्रेता का मौके पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 697–4 698/4 किता 2 रकबा 6 बीघा बांके ग्राम क्यारदा कलां में स्थित का दिनांक 22.12.2023 को सीमाज्ञान राजस्व टीम द्वारा किया गया है। प्रार्थीगण अपने उक्त आराजीयात पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात से संबंध वास्ता नहीं है अप्रार्थीगण की तरमीम सुदा भूमि है। अप्रार्थीगण की जमीन तरमीम सुदा खातेदारी कब्जे काश्त कि जमीन है। प्रार्थीगण की किस जगह पर उक्त जमीन स्थित है ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण ने पेश नहीं किया गया है इसलिए दावा खारिज किये जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 826/4 पर काबिज काश्तकार होना बताया है किन्तु यह दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होता है। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2077–2080 के खाता संख्या 498 में प्रार्थीगण खसरा नम्बर 826/4 मे केवल 1/3 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा तर्क किया गया है कि उनकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 679/4, 698/4 तरमीम शुदा भूमि है, जिसका सीमाज्ञान दिनांक 22.12.2023 को राजस्व टीम द्वारा किया गया है। किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही जवाब के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। यदि प्रार्थी को उक्त विवादित आराजी से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 826/4 के 1/3 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः विवादित आराजी खसरा नम्बर 826/4 के हिस्से 1/3 भाग पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक ग्राम क्यारदा कलां की आराजी खसरा नम्बर 826/4 रकबा 3 बीघा भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/3 भाग पर कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

यह निर्णय आज दिनांक 25/05/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.)

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:54 IST
Reason: SelfAttested